

पत्र संख्या- वन भूमि -19/2016 - 54

व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 06/01/17

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत टोरी से शिवपुर न्यू0बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु कुल अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त पत्रांक-FP/JH/RAIL/16617/2015/946 दिनांक-16.12.2016 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक- वन भूमि -19/2016- 54

व0प0 दिनांक-06/01/17

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ उप मुख्य अभियंता/Con/III, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

OK